राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/पंचम/2015–16/9603 जयपुर, दिनांकः–05/02/16

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट (वर्ष 2015–16 के लिए) अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन (वर्ष 2015–16 के लिए) के अंतर्गत की गई सिफारिशानुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल अनुदान राशि में से 85 प्रतिशत राशि मूलभूत एवं विकासशील कार्यों के लिए, 10 प्रतिशत राशि प्रशासन के मानको डाटा बेस्ड के संधारण, राष्ट्रीय प्राथमिकता स्कीमों के क्रियान्वयन एवं क्षमतावर्धन संबंधी कार्यों हेतु तथा 5 प्रतिशत राशि लेखाओं, अभिलेखों एवं आस्ति पंजिका का संधारण सुनिश्चित करने, अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयत्न और सभी पात्र व्यक्तियों के नामांकन को और भामाशाह कार्ड वितरण को पूर्ण किये जाने आदि कार्यों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए देय 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान के हस्तांतरण का आधारः–

पंचम–राज्य वित्त आयोग द्वारा माह सितम्बर, 2015 में प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 31 के अनुसार प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करने के लिए कार्यों की उपलब्धि का आधार अथवा संदर्भित वर्ष 2014–15 होगा। अंतरिम प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 22 के अंतर्गत पंचातयी राज संस्थाओं को 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने की सिफारिश के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक कार्य को निष्पादित करने के लिए अनुदान दिया जावेगाः–

1. **आय–व्यय के लेखों का संधारणः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 11 के नियम 228 से 238 के अंतर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2014–15 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आय–व्यय के लेखों के समुचित संधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आय–व्यय के लेखों के संधारण के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आय–व्यय लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आय–व्यय के लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

2. **'आस्ति रजिस्टर' को सम्मिलित करते हुए अभिलेखों का संधारणः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 9 के नियम 136 से 139 अंतर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2014–15 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं स्थावर सम्पत्तियों के लेखों के समुचित संधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों को संधारण के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

3. **पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व (निजी आय) में वृद्धिः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 7 व 8 के नियमों के अंतर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2014–15 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्व (निजी आय) में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों में निजी आय में वृद्धि के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के निजी आय में वृद्धि के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषद की निजी आय में वृद्धि हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

4. **सभी पात्र व्यक्तियों का नामांकन एवं 'भामाशाह कार्ड' का वितरण पूर्ण करनाः–** ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र व्यक्तियों का नामांकन एवं सभी पात्र व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड वितरण के 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों का नामांकन एवं भामाशाह कार्ड वितरण लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के

प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। सभी पात्र व्यक्तियों का नामांकन एवं भामाशाह कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण करने संबंधी पात्रता केवल ग्राम पंचायतों के लिए मान्य होगी।

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट अंतर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान का उपयोग, राशि हस्तांतरण, कार्यों का पर्यवेक्षण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र से संबंधित व्यवस्था विभागीय पत्रांक एफ 165(07)पंराविं/एसएफसी/पंचम/2015–16/8103 दिनांक 14.12.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप दिया जावेगा।

योजना की राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं/RTPP Act/RTPP Rules एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का होगा।

यह दिशा–निर्देश राज्य वित्त आयोग पंचम द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 971600007 दिनांक 29.01.2016 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक एफ 165(07)पंराविं/एसएफसी/पंचम/2015–16/9603 जयपुर, दिनांक– 05-02-2016

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 निजी सहायक, महालेखाकार, राज. जयपुर।
4 निजी सहायक, सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
5 निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकक्षण विभाग, राज. जयपुर।
6 निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
7 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
8 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
9 समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
10 प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
11 रक्षित पत्रावली।

(के.आर.मीना)
वित्तीय सलाहकार